

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर


क्रमांक:- एफ.2 (क) (एम-254) अलेसे- I / 8978-86

दिनांक:- 26.03.14

कार्यालय आदेश

श्री मोहन लाल बटवाडा, सहायक लेखाधिकारी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मा०) द्वितीय अलवर के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर में कार्यरत अवधि के दौरान की गयी वित्तीय अनियमितताओं के लिए पंजीबद्ध अपराध संख्या 253/2010 में अभियोजन स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अतः कार्मिक (क-3) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.2 (157) कार्मिक (क-3)/97 दि. 10.08.2001 के अनुसरण में श्री मोहन लाल बटवाडा, सहायक लेखाधिकारी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मा०) अलवर द्वितीय को सीसीए नियम 13 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

श्री मोहन लाल बटवाडा, सहायक लेखाधिकारी को निलम्बन काल में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 53 के अन्तर्गत नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा। श्री बटवाडा का निलम्बन काल में मुख्यालय कोषालय अलवर में रहेगा, वे मुख्यालय पर प्रतिदिन उपस्थिति अंकित करेंगे।



(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (एम-254) अलेसे- I / 8978-86

दिनांक:- 26.03.14

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर को उनके पत्रांक एफ.2(8)/वित्त/राजस्व/08-पार्ट दिनांक 25.03.14 के क्रम में प्रेषित है।
- 2 निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर।
- 3 जिला कलक्टर अलवर।
- 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अशा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर।
- 5 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर।
- 6 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी (मा०) द्वितीय अलवर।
- 7 कोषाधिकारी, अलवर को श्री मोहन लाल बटवाडा के सेवानिवृत्ति आदेश की प्रति संलग्न कर लेख है कि श्री बटवाडा को निलम्बन अवधि के दौरान दिनांक 31.03.14 को सेवानिवृत्ति पर कार्यमुक्त करें।
- 8 उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में इन्ड्राज करने हेतु।
- 9 श्री मोहन लाल बटवाडा, सहायक लेखाधिकारी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मा०) द्वितीय अलवर को पालनार्थ।
- 10 निजी सहायक निदेशक महोदय।
- 11 रक्षित पत्रावली/ एसीआर शाखा/ पदस्थापन सीट।


(के.एम. मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)